रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, वीरवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

का. आ. 353 (अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम (285) :—आयात-निर्यात नियंत्रण, अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण), आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 5वां संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए ।

2. खुले सामान्य लाईसेंस-3 में निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, क्रम सं. 21क के सामने खुले सामान्य लाइसेंस के कालम-4 में आने वाली शर्त (ख) (1) को

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(ख) (1) चपड़ा लाख के निर्यातकों को लाख दाने के निर्यात की अनुमति अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 वर्ष के दौरान पोत-लदान किए गए चपड़ा लाख की मात्रा के 10 प्रतिशत की सीमा तक दी जाएगी ।"

[मि. सं. 16/1/81-ई, 1 से जारी]
प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1984

S.O. 353(E)|No. E(C)O. 1977|AM(285).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the existing condition (b)(i) appearing in column 4 of the OGL against S. No. 21A shall be substituted by the following :—

"(b)(i)—Export of Seedlac will be allowed to exporters of Shellac to the extent of 10 percent of the quantity of Shellac shipped during the year April, 1984-March, 1985".

[Issued from file No. 16(1)|81-EI]
P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984